

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी

2000-10 लाख फा.

FORM No. III

APP
Cell

फर्द अहकाम
(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांदीकुई
 कदमा वनाम काले 31 मी 0
 नं० 52/2022 रान 2022

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

1/4/2022
 पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपरोक्त
 वकालत रूपपक्ष खुली गयी। पत्रावली
 वाले आदेश दिनांक 05/04/2022 को पेश
 हो।
 जय लाल
 बांदीकुई (दीसा)

54/22
 पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपरोक्त
 पक्षों द्वारा आदेशों निषेधात्मक अथवा
 आदेशों के पेश किए कि आदेश पेश करने
 के समय प्रो रोज में कमी खाता से नमा
 36 पुमाना 34, कुल किरा-41 कुल रकबा
 18.80 हेक्टर, नमा 37 पुमाना 35 कुल किरा
 9 कुल रकबा 3.99 हे, खाल से नमा 40
 पुमाना 39 कुल किरा 3 कुल रकबा 1.97 हे
 एवं खाता से नमा 41 पुमाना 40 कुल
 किरा- 4 कुल रकबा 4.03 हे स्थित है।
 उपरोक्त वर्णित कारणों पक्षों व अध्यायों के
 1 ल 10 व 12.113 के अध्यायों को पेश है।
 उपरोक्त कारणों के अभाव में उक्त हुकम
 तथा अध्यायों को पेश पर अवरुद्ध करने,
 पक्षों के रूप विवाद व पुस्तक निर्माण करने
 पर विचार है तथा फल से व कार्टे 6 मय
 विवाद करते हैं अतः अध्यायों में 1 ल 10
 को पाके कारणों जाके। इस रूप में अध्यायों
 को उक्त वर्णित कारणों की कमी व विवाद की
 समाप्ति के नाम रखने व पुस्तक निर्माण नही



कलेक्टर मुकाम बांदीकुई
 बनाव कालेज
 दमा प्राधिका - 1 नं० 52/2022 सन् 2022

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----	-----------------------------------	--

दोष के अन्तर्गत निषेधारा का आदेश पारित होने के बाद जबरन एक टोली पत्तार डाल डिमेंड अफार्म सं. 1 से न्यायालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के लिए यह प्राधिका लगाया है जिसे खारिज किया जावे।

हमने वकील अन्वयण को सुना। उक्त प्राधिका अर्थात् निषेधारा के खलन दस्तावेजों तथा प्राधिका अन्वयण निषेधारा, प्राधिका श्रीधर सुनवाई व जवाब प्राधिका श्रीधर सुनवाई का अवलोकन किया। कसम अन्वयण पर मनन करने, पत्रावली में खलन दस्तावेजों के अवलोकन, प्रकरण की दस्तुस्थिति के विवेचन के पश्चात, अन्वयण के सहकार्यकार होने के कारण सुविधा का सन्तुलन एवं अप्रत्यक्ष क्षति का सिद्धान्त अन्वयण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिका अर्थात् निषेधारा विरुद्ध अन्वयण एवं ग्रामि स्वतंत्र सं. नमा 36 पुराना 34, कुल कित्ता - 41 कुल रकबा 18.80 हे०, नमा 37 पुराना 35 कुल कित्ता - 9 कुल रकबा 3.33 हे०, खाता सं. नमा 40 पुराना 39 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.37 हे० एवं खाता सं. नमा 41 पुराना 40 कुल कित्ता - 4 कुल रकबा 4.03 हे० ग्राम - धापावन शुद्ध तह. बसवा पर जारी दि० 23.3.22 के जारी अन्वयण अन्वयण निषेधारा विरुद्ध अन्वयण खारिज की जाती है। प्राधिका अन्वयण निषेधारा फौजलशुमार टाकर का उक्त तामील तारीख व दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई